

Par / Speed Par



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं० एस/1/2011/एसटीजीजेएच/एसईसीसी/आर.यू.-3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan

Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 11-02-2014

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला-बोकारो,
बोकारो,
झारखण्ड

विषय: श्री रमित सतेन्द्र पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, बूटी रोड, रांची द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में श्री अशोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउंड, बरियातु, रांची से प्राप्त शिकायत बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.01.2014 के संदर्भ में कथन है कि इस प्रकरण पर दिनांक 11.02.2014 को आयोग में होने वाली सुनवाई/बैठक का पत्र आपके कार्यालय से वापस दिनांक 15.01.2014 को हो गया है। अतः दिनांक 11.02.2014 की बैठक नहीं हो पायी है। आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरु लाल मीना ने इस प्रकरण पर अब चर्चा दिनांक 12.03.2014 को 11.30 बजे आपकी व्यक्तिगत तौर पर बैठक/सुनवाई सुनिश्चित की है।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि मामले से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को उपरोक्त पते पर आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि उक्त तिथि को आप उपस्थित नहीं हुए तो आयोग संविधान अनुच्छेद 338क के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों के अनुसरण में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के साथ आपको समन भेज कर आयोग में पेश होने के लिए बाध्य करेगा।

भवदीय,

(के.डी. बन्सौर)

उप निदेशक

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त, जिला-सिंहभूम, सिंहभूम, झारखण्ड को सूचनार्थ।
2. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदारु, राँची (झारखण्ड) को आवश्यक एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
3. श्री अशोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउंड, बरियातु, रांची को कृपया उक्त तिथि पर आयोग में उपस्थित होने के लिए।

प्रति: -

(1) PS to Member (BLM)

(H) SSA (NIC)

(के.डी. बन्सौर)

उप निदेशक